भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3676

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

अत्यधिक कीमत पर दवाइयों की बिक्री

3676. श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित कीमत से कहीं अधिक कीमत पर दवाइयों की बिक्री करने वाली भेषज कम्पनियों के बारे में कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनपीपीए द्वारा उक्त कंपनियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई की गई है/नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी, हां। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषध कम्पनियों द्वारा अधिप्रभार की जांच करने के लिए दवाइयों के मूल्यों की नियमित रूप से निगरानी करता है। जब कभी भी कोई कंपनी दवाइयों के लिए एनपीपीए द्वारा अधिसूचित अधिकतम मूल्य के अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से वसूलती पाई जाती है, एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अंतर्गत लागू ब्याज सहित अधिप्रभार की धनराशि जमा करने के लिए ऐसी कम्पनी को नोटिस जारी करता है।

(ख): एनपीपीए औषध कंपनियों द्वारा अधिप्रभार के राज्य-वार रिकॉर्ड का अनुरक्षण नहीं करता है। तथापि, अधिप्रभार मामलों की विस्तृत सूची जहां मांग नोटिस जारी किए गए हैं, एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग): जी, हां।

(घ): एनपीपीए की शुरूआत से जून, 2019 तक, एनपीपीए द्वारा दवाइयों के लिए अधिसूचित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से वसूलने पर औषध कम्पनियों को 2038 मांग नोटिस जारी किए गए हैं। ये मांग नोटिस कुल 6370.20 करोड़ रुपए की राशि के लिए जारी किए गए हैं। औषध कम्पनियों से 893.34 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। विभिन्न न्यायालयों में 4032.55 करोड़ रूपए की धनराशि मुकदमेबाजी के अधीन है। अधिप्रभार मामलों, जहां मांग नोटिस जारी किए गए हैं, की विस्तृत सूची एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

*****